10रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0 प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक– रा/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/3221 सन्–2017

रामऔतार अहिरवार तनय कुन्जा अहिरवार निवासी ग्राम बगमऊ

तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 —— निगरानीकर्ता

बनाम

अनिल तनय श्रीपत अहिरवार निवासी ग्राम बगमऊ

तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 —— गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्रकरण कमांक– 0035/विविध अन्य/2017 में पारित आदेश दिनांक– 30/06/2017 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू0रा0सं0 की धारा– 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत।

श्री ... द्वारा आज दि. 08-9-17 को प्रस्तुत

8-9-17

सेवा में श्रीमान्

निगरानीकर्ता सादर निम्न लिखित विनय प्रस्तुत करता है :–

1– यह कि भूमि खसरा कमांक– 1226, 1238, रकवा कमशः– 1.473, 0.425हे0 कुल एकत्र रकवा 1.898हे0 स्थित मौजा कटहरा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि आवेदक/निगरानीकर्ता के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि थी। किन्तु आवेदक/निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख से राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण प्रथक हो गया थो जिसका रिकार्ड सुधार कराने हेतु आवेदक/ निगरानीकर्ता नें नायब तहसीलदार महोदय बछौन के न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण कमांक–158/अ–6–अ/2009–10 के तहत दिनांक–30/12/10 को नायब तहसीलदार महो0 बछौन द्वारा आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया था। किन्तु हल्का पटवारी एवं कम्प्यूटर शाखा के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण राजस्व अभिलेख

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3221 रामऔतार विरूद्ध अनिल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 00035/विविध अन्य/2017 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 28/2/2019 सदस्य (3)	